राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा, प्रशासन शहरों के संग अभियान में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री छोटू सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा, शहरी क्षेत्र के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में भी डी.एल.सी. के 10 प्रतिशत के आधार पर अकृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन करने के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

I- श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे ।

II- श्री भरत सिंह, सार्वजनिक निर्माण मंत्री , कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा-619-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे ।

III- डॉ0 दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम,2003 की धारा-43 के अन्तर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..2..

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती जकिया, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

1- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 104वां प्रतिवेदन ;

2- राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-2001 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 32वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी क्रिंयान्विति विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 105वां प्रतिवेदन ;

3- राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 33वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी क्रिंयान्विति विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 106वां प्रतिवेदन ;

4- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 34वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी क्रिंयान्विति विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 107वां प्रतिवेदन ;

5- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 42वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 108वां प्रतिवेदन ; एवं

6- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-2001) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 52वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक) राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 का 109वां प्रतिवेदन ।

जारी..3..

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या
1.	8- राजस्व
2.	9- वन

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पी.के.शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 12 मार्च, 2013